ए.

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2020 की आपराधिक अपील संख्या 660-662) 08 अक्टूबर, 2020

बी.

[उदय उमेश ललित**,** वाइन सरन और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम, 1999 -एस. 6 (1)-एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपीलार्थी स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम (एम. डी.) कर रहे थे और अपने कॉलेज से जुड़े अस्पताल में निवासियों के रूप में भी काम कर रहे थे-एक छात्र, अपीलार्थियों से एक वर्ष कनिष्ठ, उसी विभाग में निवासी और उसी पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले ने आत्महत्या कर ली-अपीलार्थियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की गई-अस्पताल और कॉलेज के डीन द्वारा निलंबित अपीलार्थी-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई-जबकि कुछ शर्तों में बाद में ढील दी गई/वापस ले ली गई, शर्त नं.((iv) अपीलार्थियों के अपने महाविद्यालय में प्रवेश न करने पर और अस्पताल को बनाए रखा गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःयू/एस द्वारा उचित कार्रवाई करना।6(1), शैक्षणिक संस्थान के संबंधित प्रमुख को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि छात्र के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, निलंबन का आदेश इस तरह के किसी भी निष्कर्ष या प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दर्ज नहीं करता है-यह यू/एस को सौंपी गई शक्ति के आधार पर पारित नहीं किया गया था।6(1) लेकिन इस आधार पर था कि अपीलार्थियों के खिलाफ एक प्राथमिकी थी-इस प्रकार, निलंबन का आदेश एस के लिए संदर्भित नहीं है।6(1) – इसके अलावा, एस।6(1), किसी अन्य वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है या उस पर भरोसा नहीं किया गया है-प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने पर, शर्त में ढील दी जाती है और अपीलार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज और अस्पताल में वापस जाने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि कहा गया है कि शर्तों के अधीन, अन्यथा उनके खिलाफ अभियोजन की विचाराधीनता उनके करियर को पूर्वाग्रहित करने के रूप में और जुर्माना जोड़ देगी-ऐसा कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उनके अधिकारों को अनुच्छेद 21-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नकार देगा।174 और 164-दंड संहिता, 1860 -s.306 r/ws।34 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-महाराष्ट्र मेडिकल ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1007

परिषद अधिनियम, 1965 -धारा 22 (1)-भारतीय चिकित्सा परिषद स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000-भारतीय चिकित्सा परिषद (चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियम, 2009-अनुच्छेद 7,8-भारत का संविधान-Art.21।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

बी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** यह देखने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्या कॉलेज में वापस जाना संभव नहीं होगा**,** क्या अपीलार्थियों को किसी अन्य कॉलेज/संस्थान में जाने की अनुमति दी जा सकती है ताकि दोनों तत्व अर्थात **(i)** अपीलार्थियों के करियर और संभावनाओं से संबंधित हों और **(ii)** गवाहों को अपीलार्थियों द्वारा प्रभाव की संभावना से दूर रखने में अभियोजन पक्ष का हित हो। संतुष्ट हो जाएँगे और उनका ध्यान रखा जाएगा।मामला शुरू में जो नोट और नोटिस किया गया था उससे बहुत दूर चला गया है और अब उत्तरदाताओं ने अपीलार्थियों के निलंबन के आदेश को रिकॉर्ड पर रखा है और जोर देकर कहा है कि जब तक निलंबन का आदेश लागू है**,** तब तक अपीलार्थियों को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**[**पैरा **23] [1029-**जी**; 1030-**बी**] 1.2** यह ध्यान दिया जाना चाहिए**:-**

सी.

डी.

क**)** अपीलार्थियों तीन महिला डॉक्टर हैं जो टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज**,** मुंबई में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम **(**एम**.** डी**.)** कर रही हैं और उन्होंने तीन साल के पाठ्यक्रम में से दो साल पूरे कर लिए हैं।यह पाठ्यक्रम काफी प्रतिष्ठित है और उस क्षेत्र में एक विशेष पाठ्यक्रम माना जाता है।अपीलार्थियों मुंबई के मूल निवासी प्रतीत

नहीं होते हैं और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी या उनके परिवारों की मुंबई में गहरी उपस्थिति है।

ई.

एफ.

ख) जैसा कि सुमित मेहता में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, यदि कानून किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है, तो अपीलार्थियों, संभवतः निर्दोष व्यक्ति के रूप में, संविधान के अनुच्छेद **21** के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं और जब तक उक्त अधिकार का प्रयोग अभियोजन के सुचारू संचालन और प्रगति में बाधा नहीं डालता है, तब तक अपना अध्ययन जारी रखने के हकदार हैं।

जी.

ग) उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग द्वारा दायर हलफनामे के माध्यम से राज्य द्वारा लिया गया रुख ए

एच.

1009

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य ए

विभाग, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अपीलार्थियों मुकदमे के समापन के बाद भविष्य में अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर मुकदमा चला सकते हैं।उक्त निवेदन और आदेश के पैरा **11** में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी सही नहीं है।यहाँ तक कि एक दोषी को भी सजा काटते समय शैक्षणिक कार्य करने और एक इंसान के रूप में अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति है।राज्य तंत्र को इस दिशा में किसी भी प्रयास में बाधा डालने के बजाय इस तरह के कार्यों को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

बी.

घ) यह रिकॉर्ड की बात है कि सभी भौतिक गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **164** के तहत दर्ज किए गए हैं।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की हद तक कोशिश की कि ऐसे बयान दर्ज किए जाएं ताकि जमानत पर रिहा होने के बाद अपीलार्थियों द्वारा गवाहों को नहीं जीता जा सके।इसलिए, यह आशंका कि गवाह प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं है।

सी.

ई) अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे जाने वाले अधिकांश मामले कॉलेज और अस्पताल के स्थायी रोजगार में प्रतीत होते हैं।यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि तीन महिला डॉक्टर जो अन्यथा मुंबई से संबंधित नहीं हैं, वे कॉलेज और अस्पताल में अपनी उपस्थिति से ऐसे किसी भी गवाह को प्रभावित करने में सक्षम होंगी।

डी.

ई.

च) अपीलार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है और जैसा कि कहा गया है, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें केवल नौ महीने की वास्तविक अवधि से गुजरना पड़ता है।[पैरा **24] [1030-**डी-एच; **1031-**ए-ई]

सुमित मेहता बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) **(2013) 15** एस. सी. सी.

एफ.

570 :[2013] 10 एससीआर **125-**पर निर्भर।

1.3 अभिलेख पर तथ्यों से संकेत मिलता है कि रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट और निलंबन का आदेश एक ही तारीख यानी **27.05.2019** पर जारी किए गए थे।यह निवेदन कि निलंबन का आदेश रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट पर आधारित नहीं था, निम्नलिखित विशेषताओं के कारण स्वीकृति के योग्य है, अर्थात् (क) निलंबन के आदेश के लिए बाहरी संख्या एन. डी. एन./**172** है जबकि रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट की संख्या एन. डी. एन./**183** है, जिसका अर्थ है कि निलंबन का आदेश रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट से पहले जारी किया गया था। (बी) दोनों संचार कॉलेज के डीन के हस्ताक्षर के तहत हैं।

जी.

एच.

और अस्पताल और फिर भी, निलंबन का आदेश रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट का कोई संदर्भ नहीं देता है; (ग) निलंबन का आदेश विशुद्ध रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के पंजीकरण पर आधारित है, यही कारण है कि "इसका संज्ञान लेते हुए" निलंबन का आदेश पारित किया गया था; और (घ) जब निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, तो इसे उच्च न्यायालय के **09.08.2019** दिनांकित आदेश के कारण **25.10.2019** पर खारिज कर दिया गया था, न कि रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट के कारण।[पैरा **25] [1031-**एफ-एच; **1032-**ए-बी]

बी.

1.4 महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम**, 1999** की धारा **6 (1)** के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए**,** शैक्षणिक संस्थान के संबंधित प्रमुख को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि छात्र के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं**,** जिसके बाद निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है।निलंबन का आदेश इस तरह के किसी भी निष्कर्ष या प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को भी दर्ज नहीं करता है।वास्तव में**,** निलंबन का आदेश **1999** के अधिनियम की धारा **6 (1)** के तहत सौंपी गई शक्ति के आधार पर पारित नहीं किया गया था**,** बल्कि इस आधार पर किया गया था कि अपीलार्थियों पुलिस द्वारा जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।निलंबन का आदेश **1999** के अधिनियम की धारा **6 (1)** के लिए संदर्भित नहीं है। धारा **6 (1)** के अलावा**,** किसी अन्य वैधानिक प्रावधान का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।भारतीय चिकित्सा परिषद **(**चिकित्सा महाविद्यालयों**/**संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध**)** विनियमों का पैरा **8.1** उन मामलों में लागू होता है जहां एक छात्र को 'रैगिंग का दोषी पाया गया है' जो शक्ति के वैध प्रयोग का अनुमान लगाता है।उक्त पैरा **8.1** द्वारा विचार किए गए प्रभाव उसके बाद ही अमल में आते हैं।न तो **1999** के अधिनियम के प्रावधान और न ही **2009** के विनियम वर्तमान मामले की ओर आकर्षित होते हैं।**[**पारस **26-28] [1032-D-G]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.5 एक निवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि शर्त में छूट के अनुरोध से उत्पन्न होने वाले मामले में**,** निलंबन आदेश पर किसी भी संपार्श्विक हमले की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों निलंबन के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं और जब तक उस आदेश को दरकिनार नहीं किया जाता है**,** अपीलार्थियों को कॉलेज या अस्पताल में वापस आने की अनुमति नहीं अपास्त करना सकती है।उपरोक्त प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाई जाती है।शर्त सं**. (iv)** के संबंध में मांगी गई छूट अपराध के पंजीकरण से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में सभी प्रस्तुतियों को अपने दायरे में लेती है और क

जी.

एच.

1011

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य ए

इसके अनुसार उठाए गए कदम।चूँकि निलंबन का आदेश विशुद्ध रूप से अपराध के पंजीकरण के परिणामस्वरूप पारित किया गया था और **1999** के अधिनियम की धारा **6** के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों में इसका कोई निहितार्थ नहीं था**,** इसलिए यह न्यायालय निश्चित रूप से अपीलार्थियों को निवारण प्रदान कर सकता है।**[**पैरा **29,30] [1033-**ए-सी**]**

बी.

1.6 प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करते हुए**,** अपीलार्थियोंओं को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रमों में वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ अभियोजन की विचाराधीनता उनके करियर को पूर्वाग्रहित करने के रूप में और जुर्माना जोड़ देगी।इस तरह का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव संविधान के अनुच्छेद **21** के तहत उनके अधिकारों को नकार देगा। मामले को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जब अपीलार्थियोंओं को एक ही गाइड के तहत और उसी संस्थान में प्रशिक्षण लेना होता है जहां वे पंजीकृत थे**,** तो न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्त संख्या **(iv)** में ढील दी जाती है और अपीलार्थियोंओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज और अस्पताल में वापस जाने की अनुमति दी जाती है**,** जो कि बताई गई शर्तों के अधीन है।यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थियों को दिनांक **27.05.2019** के निलंबन आदेश की परवाह किए बिना अपने अध्ययन के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।**[**पारस **31-33] [1033-D-F; 1034-E]**

सी.

डी.

कुणाल कुमार तिवारी उर्फ कुणाल कुमार बनाम बिहार राज्य

ई.

और एक अन्य (2018) 16 एस. सी. सी. 74-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2013] 10 एससीआर **125**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **16**

एफ.

(2018) 16 एससीसी **74**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील सं. 660-662।

2019 की आपराधिक अपील संख्या 911 के अंतरिम आवेदन संख्या 2,3 और 4 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2020 से।

जी.

सिद्धार्थ लूथरा, सुश्री इंदिरा जयसिंह, बी. एच. मार्लापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्तागण , कुणाल चीमा, जगविजय गांधी, सुश्री अदिति पारखी, सुश्री सुभांगिनी जैन, पंकज सिंघल, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री दिशा वाडेकर,

एच.

1012

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 8 एस सी आर।

प्रतुत दलवी, जीशान दीवान, पारस नाथ सिंह, सुश्री उज्जैनी चटर्जी, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेदिता नायर, सुश्री अरुजा सावला, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, जियो जोसेफ, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया और धवल मोहन, अधिवक्तागण , उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के अंतरिम आवेदन Nos.2,3 और 4 (डॉ. अंकिता कैलाश खंडेलवाल, डॉ. हेमा सुरेश आहूजा और डॉ. भक्ति अरविंद मेहारे द्वारा क्रमशः पसंद की गई; जिन्हें सामूहिक रूप से इसके बाद अपीलार्थियों के रूप में संदर्भित किया जाता है) में 2019 की आपराधिक अपील No.911 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2020 से उत्पन्न होती हैं।

सी.

3. शर्तों में छूट की मांग करने वाले अपीलार्थियों द्वारा अंतरिम आवेदनों को प्राथमिकता दी गई थी।(iii), (iv) और (v) उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देते समय पारित दिनांक 09.08.2019 के आदेश में उन पर अधिरोपित किया गया।

डी.

4. 2019 की उक्त आपराधिक अपील संख्या 911 को दाखिल करने के लिए बुनियादी तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैंः-

ई.

क) एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपीलार्थियों टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, मुंबई (संक्षेप में कॉलेज) में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम. डी.) कर रहे थे।उन्होंने अप्रैल, 2019 में तीन साल के पाठ्यक्रम में से दो साल पूरे किए और कॉलेज से जुड़े बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल (संक्षेप में अस्पताल) में निवासियों के रूप में काम कर रहे थे।

एफ.

ख) डॉ. पायल तडवी कॉलेज में स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम. डी.) की छात्रा भी थीं और अप्रैल, 2019 में पाठ्यक्रम का पहला वर्ष पूरा किया।इस प्रकार वह अपीलार्थियों से एक वर्ष छोटी थी और वे सभी एक ही विभाग में निवासी थे और एक ही पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे थे।

जी.

ग) 22.05.2019 पर लगभग 9 बजेः00 शाम को, अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुंबई को सूचना मिली कि डॉ. पायल तडवी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।प्रारंभ में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 174 के तहत एक मामला था

एच.

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

रिकॉर्ड किया गया।डॉ. पायल तडवी की माँ द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कि उनकी बेटी को अपीलकर्ताओं द्वारा परेशान किया गया था और वे उनकी बेटी द्वारा की गई आत्महत्या के लिए सीधे जिम्मेदार थे, 2019 का अपराध (आईडी1) अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 ("आईपीसी", संक्षेप में) सहपठित धारा 306 के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत और महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम, 1999 (इसके बाद '1999 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत भी दर्ज किया गया था।

बी.

घ) सं. सं. वाले संचार द्वारा। एन. डी. एन./172 दिनांक 27.05.2019, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, अपीलार्थियों को अस्पताल और कॉलेज के डीन द्वारा निलंबित कर दिया गया था।अपीलार्थियों में से एक, डॉ. भक्ति अरविंद मेहारे को संबोधित पत्र का प्रासंगिक पाठ इस प्रकार थाः-

सी.

"यह हमारे संज्ञान में आया है कि आप 22.05.2019 के बाद से अनौपचारिक रूप से काम से अनुपस्थित हैं।प्रोफेसर और प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के प्रमुख ने हमारे कार्यालय को सूचित किया है कि आप अनुपस्थित रहे हैं।

डी.

नायर अस्पताल के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही डॉ. पायल सलमान तडवी ने 22.05.2019 पर छात्रावास के कमरे नं.806. डॉ. पायल की मां अबेदा सलीम तडवी ने अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।शिकायत के आधार पर डॉ. भक्ति मेहेरे के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।Cr.Reg.No.157/99 भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 34 के तहत, महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम, 1999 की धारा 4 के सहपठित पढ़ा जाता है, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3 (10) के सहपठित पढ़ा जाता है; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के सहपठित पढ़ा जाता है।

ई.

एफ.

ऐसी गंभीर घटना में राज्य द्वारा जांच में सहयोग करने के बजाय, आप पुलिस जांच से बचने के इरादे से और किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना और पूर्व अनुमति लिए बिना काम के साथ-साथ अपने आवास से भी लापता हो गए हैं।इससे पुलिस/प्रशासन द्वारा की जा रही जांच में बाधा उत्पन्न हुई है।इसके अलावा, आपके खिलाफ अग्रिपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।इसका संज्ञान लेते हुए, आपको अगले आदेश तक 27.05.2019 से निलंबित किया जा रहा है।"

जी.

एच.

ङ) उसी तारीख को, सं. एन. डी. एन./183 दिनांक 27.05.2019 अस्पताल और कॉलेज के डीन के हस्ताक्षर के तहत बनाया गया था, जिसमें रैगिंग रोकथाम समिति की राय को नोट किया गया था और सिफारिश की गई थी कि अपीलार्थियोंओं को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। संबंधित इकाई प्रमुख और स्त्री रोग विभाग और प्रसूति वार्ड के इकाई प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

बी.

च) अपीलार्थियों को 29.05.2019 पर गिरफ्तार किया गया था।इसके बाद जांच को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया और मामले को 2019 के अपराध No.49 के रूप में बदल दिया गया।जाँच के दौरान अपराध शाखा द्वारा 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।जाँच पूरा होने के बाद, 1200 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया गया था और मामला अभी भी विचार के चरण में है कि क्या आरोप तैयार करने की आवश्यकता है या नहीं।

सी.

छ) अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत 2019 का जमानत आवेदन No.1338 सत्र न्यायालय (जी. आर.) द्वारा खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे) बॉम्बे में दिनांक 24.06.2019 के आदेश द्वारा। अपीलार्थियों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में 1989 अधिनियम की धारा 14 ए (2) के तहत 2019 की आपराधिक अपील दायर की।

डी.

5. जब अपील को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था, तो अपीलार्थियों को जमानत देने पर गंभीरता से आपत्ति नहीं की गई थी, जैसा कि दिनांक 1 के आदेश के पैराग्राफ 4 से स्पष्ट है, जो निम्नलिखित प्रभाव से थाः-

ई.

“4. श्री पोंडा प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है, अपीलार्थियों जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ठाकरे ने भी इस बात पर विचार करने के लिए पर्याप्त निष्पक्षता दिखाई है कि उन्हें अपीलार्थियों को जमानत देने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।इस न्यायालय ने आरोप पत्र का अध्ययन किया है, जो कम से कम 1200 पृष्ठों का है।अपराध शाखा ने लगभग 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को फंसाया है। हालाँकि, इस न्यायालय की राय है कि अपीलार्थियों जमानत देने के हकदार हैं, लेकिन यह कड़ी शर्तों के अधीन होगा।”

एफ.

जी.

5.1.आदेश ने पैराग्राफ 13 में यह भी दर्ज किया कि भौतिक गवाहों के बयान संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे।कहा गया अनुच्छेद थाः- ए.

एच.

1015

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]

ए.

“13. जमानत के लिए इस अपील की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने एक सवाल किया था कि क्या भौतिक गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे।चूंकि जवाब नकारात्मक था, इसलिए इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि डॉ. स्नेहल शिंदे, डॉ. गीता कुलकर्णी और अन्य भौतिक गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाहों को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद आरोपी व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाए।”

बी.

5.2.हालाँकि, अपीलार्थियों को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपने दिनांक 09.08.2019 के आदेश में कुछ शर्तें लगाई गईंः-

सी.

“18.शीर्ष न्यायालय ने न्यायालयों को इस बात पर विचार करने का भी निर्देश दिया है कि क्या जांच पूरी हो गई है और क्या आरोपी ने जांच में सहयोग किया है।वर्तमान मामले में, जांच पूरी हो जाती है, गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाते हैं और आरोप पत्र दायर किया जाता है।इसके अलावा, अपीलार्थियों जाँच में शामिल हो गए थे। इसलिए, अपीलार्थियों जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।

डी.

19. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 307 या किसी भी आतंकवादी गतिविधि के आरोपी नहीं हैं और मृतक डॉ. पायल द्वारा उठाए गए चरम कदम उनके मानस और चिकित्सा पेशे में दबावों को संभालने की उनकी क्षमता को प्रतिबिंबित करेंगे और इसलिए, उनके अनुसार, अपीलार्थी जमानत के पात्र हैं।भले ही इस निवेदन को स्वीकार कर लिया जाए, न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि मानसिक चोट शारीरिक चोट से अधिक गंभीर हो सकती है। मानसिक चोट एक व्यक्ति को वर्तमान की तरह किसी भी चरम कदम पर ले जा सकती है क्योंकि इसे कभी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह केवल पीड़ित की ओर से प्रत्यक्ष कार्रवाई या मौन से परिलक्षित होता है।यह सवाल कि क्या अपीलार्थियों का इरादा डॉ. तडवी को आत्महत्या

करने के लिए उकसाने का था, एक ऐसा मामला है जिसका फैसला विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

20. ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

21. अतः निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता हैः

एच.

आदेश

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 ए (2) के तहत जमानत बढ़ाने के लिए अपील की अनुमति कुछ सख्त शर्तों को लागू करने के बाद दी जाती है।

बी.

(ii) अपीलार्थियों को रुपये की राशि में पी. आर. बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत पर बढ़ाया जाए। केवल दो लाख) प्रत्येक और एक या अधिक विलायक स्थानीय प्रतिभू।

((ग) अपीलार्थियों न्यायालय की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे।अपीलार्थियों आरोप तय होने तक हर दूसरे दिन अपराध शाखा, नागपाड़ा के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।(iv) अपीलार्थियों अग्रिपाड़ा पुलिस स्टेशन और विशेष रूप से, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज (बी. वाई. एल. नायर सीएच.) के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अस्पताल)।

सी.

(v) भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ-साथ महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद द्वारा जारी अपीलार्थियों के लाइसेंस परीक्षण के समापन तक निलंबित रहेंगे।

डी.

(vi) अपीलार्थियों प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय में उपस्थित होंगे जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए।

(vii) इसमें लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, जांच एजेंसी जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

ई.

(viii) आवेदक को रुपये की अस्थायी नकद जमानत पर रिहा किया जाएगा। केवल दो लाख) प्रत्येक 8 सप्ताह की अवधि के लिए, जिसके भीतर वे विशेष न्यायालय, मुंबई की संतुष्टि के लिए विलायक स्थानीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगे।

एफ.

(ix) यह स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी नकद जमानत पर रहते हुए भी उपरोक्त सभी शर्तें लागू होंगी।

(x) अपीलार्थियों रिहाई की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में उपरोक्त खंड (iii) और (vi) के संबंध में एक वचन पत्र दायर करेंगे।

जी.

(xi) विशेष न्यायालय, मुंबई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ए की धारा 14 ए के तहत इस अपील में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

एच.

1017

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, क्योंकि सभी टिप्पणियां जमानत देने तक ही सीमित हैं, अन्यथा नहीं।

23. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

6. 25.10.2019 पर, अपीलार्थियोंओं द्वारा उनके निलंबन को रद्द करने के लिए किए गए अनुरोध को अस्पताल और कॉलेज के डीन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया थाः-

बी.

"... ...इस पत्र में आपने निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया है।लेकिन दिनांक 9/08/2019 पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इस समय निलंबन को रद्द करना संभव नहीं है।"

7. दिनांक 1 के आदेश के अनुच्छेद 21 के उप-पैरा 9 द्वारा विचार किए गए उपक्रम अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए थे और यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों का अपीलार्थियों द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया था।हालांकि, शर्त के परिणामस्वरूप नं। (v), चिकित्सा पेशेवरों के रूप में अभ्यास करने के लिए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे; और शर्त सं।((iii) वे न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा, शर्त सं।((iv) वे उस अस्पताल और कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सके जहाँ वे अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे थे।इन परिस्थितियों में, नवंबर, 2019 में, 2019 के अंतरिम आवेदन संख्या 2,3 और 4 को अपीलार्थियोंओं द्वारा शर्त संख्या में छूट की मांग करते हुए प्राथमिकता दी गई थी।(iii), (iv) और (v) उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.08.2019 के आदेश में अधिरोपित।

सी.

डी.

ई.

8. 10.01.2020 पर, महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने डॉ. अंकिता कैलाश खंडेलवाल और डॉ. भक्ति अरविंद मेहारे का लाइसेंस निलंबित कर दिया।डॉ. हेमा सुरेश आहूजा के संबंध में निलंबन का ऐसा कोई आदेश नहीं था, क्योंकि वह महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में पंजीकृत नहीं थीं।

एफ.

9. 2019 के अंतरिम आवेदन 2,3 और 4 पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्त्री रोग विभाग के प्रमुख डॉ. गणेश शिंदे को तलब विद्वान , जिनकी प्रस्तुतियों के साथ-साथ राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियाँ इस प्रकार दर्ज की गईः-

“2. आज तक, डॉ. गणेश शिंदे को इस न्यायालय द्वारा उक्त शर्त में छूट के प्रभाव का पता लगाने के लिए तलब किया गया था।डॉ. शिंदे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 28 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुसार, उन्होंने कर्मचारी सदस्यों, संकाय सदस्यों, नर्सों और अन्य व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई थी जो वर्तमान मामले में गवाह हैं।एक गंभीर शत्रुता है

जी.

एच.

आवेदकों की ओर।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल में उनकी उपस्थिति मुकदमे के पहलू को बदल सकती है और गवाहों के जीतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और साथ ही अस्पताल 22 मई 2019 को हुई घटना की प्रतिक्रिया के रूप में गवाहों के हाथों आरोपी आवेदकों को हुए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिसमें डॉ. पायल तडवी ने बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल के आवासीय क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी।वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी मामले में आरोपी-आवेदक चिकित्सा विषय में स्नातक हैं और वे मुकदमे के समापन के बाद भी भविष्य में किसी भी समय अपने स्नातकोत्तर पर मुकदमा चला सकते हैं और इसलिए, आवेदकों को अपनी स्नातकोत्तर पूरी करने के लिए बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने की कोई तात्कालिकता नहीं है।

बी.

सी.

9.1.उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 21.02.2020 के आदेश द्वारा शर्त सं.(iii)।इसने शर्त संख्या को भी याद किया।(v) जैसा कि उसके विचार में, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लाइसेंसों का निलंबन अधिकार क्षेत्र के बिना था और महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 22 (1) के संदर्भ में उस ओर से परिषद द्वारा कार्रवाई की जा सकती थी।उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद को इस संभावना का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्या अपीलार्थियों किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं। हालांकि, राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने शर्त संख्या में ढील देने से इनकार कर दिया।((iv)।इसे पैरा 10 से 12 में निम्नानुसार देखा गया हैः- “10. शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता त्वरित सुनवाई की मांग करता है।यह रिकॉर्ड की बात है कि अधिकांश गवाह ऐसे छात्र हैं जो बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल में अपने स्नातकोत्तर पर मुकदमा चला रहे हैं और स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद वे बॉम्बे में नहीं रह सकते हैं और इसलिए, तदनुसार मुकदमे में तेजी लाना आवश्यक होगा।2019 के सत्र मामला संख्या 7 के साथ जब्त किए गए विद्वान विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आरोप तय होने की तारीख से दस महीने के भीतर जहां तक संभव हो साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यहां आवेदक मुकदमे के समापन के बाद अपनी आगे की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

एच.

1019

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

ए.

12. इस न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद को इस संभावना का पता लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया था कि क्या वर्तमान आवेदक किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। विद्वान वकील श्री गोले ने इस न्यायालय का ध्यान महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों की ओर आकर्षित विद्वान है कि आवेदक स्नातकोत्तर के लिए किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे महाराष्ट्र के बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल में स्नातकोत्तर कर रहे थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रवास की अनुमति नहीं है।"10. शर्त सं. को वापस लेने के अनुरूप।(v) उच्च न्यायालय द्वारा, महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने दिनांक 16.03.2020 के संचार द्वारा डॉ. अंकिता कैलाश खंडेलवाल और डॉ. भक्ति अरविंद मेहारे के निलंबन अपास्त करना कर दिया और दिनांक 10.01.2020 के पहले के आदेश अपास्त करना कर दिया।

बी.

सी.

11. इस प्रकार ये अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा शर्त सं. (iv) में ढील न देने को चुनौती देती हैं।

12. 09.07.2020 पर नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः-

डी.

"याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत विद्वान कि;

(i) याचिकाकर्ताओं ने तीन साल के पाठ्यक्रम में से दो साल पूरे कर लिए हैं और उन्हें पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।उन्होंने कहा कि आम तौर पर छात्रों को उसी कॉलेज में वापस जाना चाहिए, लेकिन यदि याचिकाकर्ताओं को उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति देना संभव नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य कॉलेज में समायोजित किया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, तारीखों और सारांश की सूची के पृष्ठ "सी" पर याची द्वारा उद्धृत दो उदाहरणों पर निर्भरता रखी गई है।

ई.

एफ.

((ii) आदेश के पैरा 10 में दिए गए अवलोकन से पहले यह माना जा सकता है कि आरोप तय किए जाने थे।यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले को संबंधित न्यायालय के विचार के लिए छोड़ दिया जाए कि क्या आरोप तैयार करने की आवश्यकता है या नहीं।"

जी.

नोटिस इन प्रस्तुतियों तक ही सीमित था।तिथियों और सारांश की सूची के पृष्ठ 'सी' पर दिए गए दो उदाहरण थेः-

एच.

"याचिकाकर्ताओं ने हाल ही में पूछताछ पर विवादित निर्णय पारित करने के बाद पता चला है कि पिछले साल या उससे अधिक समय से, एक ई. एस. आई.-पी. जी. आई. एम. एस. आर. कॉलेज, अंधेरी, जिसमें आग लग गई थी, के विभिन्न छात्रों (उनमें से लगभग 30 स्त्री रोग सहित पी. जी. पाठ्यक्रम में पढ़ रहे थे) को ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जे. जे. अस्पताल, भायखला में समायोजित किया गया है।भारतीय चिकित्सा परिषद की सहमति से महाराष्ट्र राज्य द्वारा भी ऐसा ही किया गया था।

बी.

याचिकाकर्ताओं को हाल ही में यह भी पता चला है कि विवादित निर्णय और अंतिम आदेश पारित किया गया था कि उनके कॉलेज के छात्रों को भी एक अन्य अस्पताल यानी सायन अस्पताल में रखा गया था, जब उनके एमआरआई केंद्र में विस्फोट हुआ था और यह लगभग 6 महीने तक जारी रहा, जब तक कि उक्त केंद्र को फिर से चालू नहीं किया गया था।"

सी.

13. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.08.2020 के आदेश में भारतीय चिकित्सा परिषद और शिकायतकर्ता की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार दर्ज की गईंः-

डी.

"एम. सी. आई. के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा ने कहा कि पलायन की अनुमति नहीं होगी और याचिकाकर्ताओं द्वारा (i) झज्जर हरियाणा के महाविद्यालय और (ii) ई. एस. आई.-पी. जी. आई. एम. एस. आर. महाविद्यालय, अंधेरी, मुंबई के दो उदाहरण उन मामलों के विचित्र तथ्यों

और परिस्थितियों में थे।उन्होंने कहा कि पहले मामले में कॉलेज बंद था और इसलिए छात्रों के पूरे बैच को अलग-अलग कॉलेजों में रखा गया था, जबकि दूसरे मामले में संस्थान में आग लग गई थी और इसलिए छात्रों को अस्थायी रूप से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ई.

एफ.

सुश्री इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि प्रवास का मुद्दा जमानत से संबंधित मामले और जमानत देने के चरण में लगाई गई शर्तों से पूरी तरह से असंबंधित था; कि यदि याचिकाकर्ताओं को प्रवास से इनकार कर दिया गया था, तो उपाय कानून को ज्ञात तरीके से उचित कार्यवाही करने में था और चूंकि विनियम बहुत स्पष्ट थे कि किसी भी प्रवास की अनुमति नहीं होगी, इसलिए न्यायालय को प्रवास की याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए।"

जी.

इसी आदेश से इस न्यायालय ने बी. वाई. एल. नायर चैरिटी अस्पताल को भी निलंबित कर दिया। और मुकदमे की स्थिति के संबंध में राज्य से जानकारी मांगी।

एच.

1021

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

ए.

14. संबंधित पक्षों द्वारा अपने हलफनामों में जवाब में लिए गए रुख निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:-

ए) उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने कहा:-

"9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास एमबीबीएस की डिग्री है और वे अपने चिकित्सा पेशे का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं।याचिकाकर्ता मुकदमे के समापन के बाद भविष्य में किसी भी समय अपने स्नातकोत्तर पर मुकदमा चला सकते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य कॉलेज/अस्पताल में उनके प्रवास/आवास की अनुमति देने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही वर्तमान मामले में सुनवाई में तेजी लाई है और निर्देश दिया है कि आरोप तय होने की तारीख से 10 महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जानी चाहिए।"

बी.

सी.

बी) कॉलेज और अस्पताल के डीन ने भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए भारतीय चिकित्सा परिषद स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 ('2000 विनियम', संक्षेप में) पर भरोसा किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी भी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम से गुजरने वाले छात्र के किसी भी प्रवास/स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। अतिरिक्त हलफनामे में यह दावा किया गया थाः-

डी.

“7. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 'पूर्णकालिक निवासी' के रूप में काम करेंगे और छह महीने के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यकाल के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण के 80 प्रतिशत से कम (अस्सी प्रतिशत) में भाग लेंगे, जिसमें पूर्णकालिक जिम्मेदारियों का आकलन और शैक्षिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं में भागीदारी शामिल है।”ग) शिकायतकर्ता ने मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के निषेध के मुद्दे पर 1999 के अधिनियम और भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों के प्रावधानों और दिनांक 1 के निलंबन आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखी।

ई.

एफ.

15. अपीलार्थियों द्वारा आग्रह की गई दलीलों में से एक यह है कि पैरा 10 के अंतिम वाक्य में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को विशेष न्यायाधीश को आरोप तय करने और उसके बाद दस महीने के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश के रूप में समझा जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा अभी भी संहिता की धारा 207 और 208 के अनुपालन के चरण में है और अपीलार्थियों

जी.

एच.

निष्कासन के लिए आवेदन दायर करने का उनका अधिकार होगा।हालाँकि, पैरा 10 में अंतिम वाक्य निर्वहन के लिए उनके आवेदन पर विचार करने में बाधा डाल सकता है।

हमें नहीं लगता कि उक्त सजा को विशेष न्यायाधीश को आरोप तय करने के लिए एक जनादेश के रूप में माना जा सकता है।स्पष्टता के लिए, हम निर्देश देते हैं कि मामले पर विचार के स्तर पर विशुद्ध रूप से गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा कि क्या आरोप तैयार करने की आवश्यकता है या नहीं।यदि निर्वहन के लिए कोई आवेदन अपीलार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

बी.

16. अब हम अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों पर आते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:-

सी.

i) सुमित मेहता बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना।

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**) 2** और कुणाल कुमार तिवारी उर्फ कुणाल कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य **3,** यह प्रस्तुत किया जाता है कि

संहिता की धारा 437 (3) के अनुसार, अदालतें निस्संदेह ऐसी शर्तें लागू करने की हकदार हैं जो "अन्यथा न्याय के हित में" आवश्यक हैं।हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसी शर्तें मनमाना, काल्पनिक या प्रावधान के अंत से परे नहीं हो सकती हैं।

डी.

(ii) शर्त सं।(iv), जैसा कि लगाया गया है, इसके परिणामस्वरूप कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के अपीलार्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उनके अधिकारों का सीधे उल्लंघन हो रहा है।

ई.

iii) अपीलार्थियों इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि उन्हें कॉलेज में वापस जाने की अनुमति दी जाए, यदि अपीलार्थियों को मुंबई शहर के किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरण/प्रवास की अनुमति दी जा सकती है।कॉलेज के अलावा, ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित दो अन्य मेडिकल कॉलेज और मुंबई में स्थित महाराष्ट्र राज्य द्वारा संचालित एक और कॉलेज और कई अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और अस्पताल हैं।अपीलार्थियों को इनमें से किसी भी संस्थान से जोड़ा जा सकता है ताकि वे अपना अध्ययन पूरा कर सकें।

एफ.

जी.

iv) अपीलार्थियोंओं ने तीन साल के पाठ्यक्रम के दो साल पूरे कर लिए हैं और तीसरे वर्ष के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता हो सकती है।

2 (2013) 15 एससीसी 570 3 (2018) 16 एससीसी 74 ए

एच.

1023

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]

ए.

पाठ्यक्रम लगभग नौ महीने का वास्तविक निवास होगा क्योंकि छात्र आम तौर पर तीन महीने के लिए अध्ययन अवकाश के हकदार होते हैं।इस प्रकार, यह नौ महीने के लिए आवास का सवाल होगा।v) अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किए जाने वाले आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों में से 12 स्नातकोत्तर छात्र हैं जो स्थायी रूप से कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत नहीं हैं।उन 12 गवाहों में से 5 ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और मई, 2020 में उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि अन्य 5 मई, 2021 में उत्तीर्ण होंगे और शेष 2 छात्र मई 2022 में उत्तीर्ण होंगे।अन्य सभी गवाह स्थायी रूप से कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत हैं।

बी.

सी.

vi) किसी भी मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश में कहा गया है, सभी भौतिक गवाहों की संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जाने के बाद, अपीलार्थियोंओं की ओर से किसी भी गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास की आशंका करने का कोई अवसर नहीं होगा।

डी.

(vii) जिस भी तरीके से न्यायालय निर्देश देना उचित समझे, उसके द्वारा एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जिसके तहत अपीलार्थियों को अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने और पूरा करने की अनुमति दी जाए।उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया रुख, जो अपील के तहत आदेश के पैरा 11 में परिलक्षित हुआ था, सही नहीं है और सुझाई गई कार्रवाई अपीलार्थियों के करियर को पूरी तरह से खतरे में डाल देगी।

ई.

viii) 27.05.2019 दिनांकित निलंबन का आदेश विशुद्ध रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित था।महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद द्वारा दो अपीलार्थियों का निलंबन फिर से उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2019 के आदेश में जारी निर्देश (v) पर आधारित था।किसी भी मामले में, महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद द्वारा उक्त निलंबन अब रद्द कर दिया गया है।

एफ.

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल द्वारा प्रस्तुत विद्वान गया है कि इस न्यायालय ने शुरू में यह देखने के लिए नोटिस जारी विद्वान था कि क्या अपीलार्थियों को किसी अन्य कॉलेज/संस्थान में स्थानांतरित विद्वान जा सकता है या प्रवास की अनुमति दी जा सकती है और अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए दो उदाहरण पूरी तरह से अलग हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अस्पताल और कॉलेज के डीन के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया 27.05.2019 दिनांकित निलंबन आदेश अभी भी अस्तित्व में है और लागू है, अपीलार्थियों ऐसा नहीं कर सकते हैं।

जी.

एच.

उन्हें अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम में वापस जाने की अनुमति दी जाए।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि जाँच के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष केवल 60 गवाहों की जाँच तक ही सीमित रह सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ, मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा।

18. भारतीय चिकित्सा परिषद के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा ने प्रस्तुत विद्वान है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से गुजरने वाले छात्र के लिए उसे किसी विशेष गाइड से जोड़ा जाना चाहिए और छात्र को पाठ्यक्रम के दौरान गाइड को बदलने की अनुमति नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियोंओं द्वारा जिन उदाहरणों पर भरोसा किया गया था, वे एक असाधारण स्थिति के उदाहरण थे जहां भारतीय चिकित्सा परिषद के आदेश के तहत पूरे बैच को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी।यह दोहराया जाता है कि विचाराधीन विनियमों के तहत, किसी अन्य कॉलेज में प्रवास की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।यह पूछे जाने पर कि क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कोई समय सीमा है, श्री शर्मा ने जवाब दिया है कि पहले पांच साल की सीमा होती थी जिसके भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता था लेकिन अब ऐसी कोई बाहरी सीमा नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब कोई उम्मीदवार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत हो जाता है, तो वह इस तरह के पंजीकरण के जारी रहने तक कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं ले सकता है।

बी.

सी.

डी.

19. शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि निलंबन का आदेश दिनांक आई. डी. 1 रैगिंग रोधी समिति की रिपोर्ट पर आधारित था और न तो निलंबन के आदेश को कोई चुनौती दी गई थी और न ही निलंबन को रद्द विद्वान गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि महाविद्यालय द्वारा निलंबन की स्थिति में, अपीलार्थियों को अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार निलंबन का आदेश लागू होने के बाद, 2009 के विनियमों के विनियम 8.1 के संदर्भ में, अपीलार्थियों को किसी भी कक्षा में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने जमानत देने के आदेश को चुनौती नहीं दी थी क्योंकि आदेश इस शर्त के साथ आया था कि अपीलार्थियों को कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।डॉ. गणेश शिंदे द्वारा व्यक्त आशंका के अनुसार, यदि अपीलार्थियों को कॉलेज में वापस जाने की अनुमति दी जाती है, तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना है।

ई.

एफ.

जी.

20. महाविद्यालय और अस्पताल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. एच. मार्लापल्ले ने प्रस्तुत विद्वान है कि उनके द्वारा प्राप्त मौखिक निर्देशों के अनुसार, निलंबन का आदेश रैगिंग विरोधी समिति की राय पर आधारित था।

एच.

1025

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

ए.

21. अब हम प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर विचार कर सकते हैंः-ए) 1999 के अधिनियम की धारा 4,5 और 6 निम्नलिखित प्रभाव से हैंः- “4. जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, उसे बढ़ावा देता है या प्रचार करता है, उसे दोषी ठहराए जाने पर दो साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और दस हजार रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

बी.

5. धारा 4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी छात्र को शैक्षणिक संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा और ऐसे छात्र को ऐसी बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सी.

6. (1) जब भी कोई छात्र या, जैसा भी मामला हो, किसी शैक्षणिक संस्थान का माता-पिता या अभिभावक या शिक्षक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख को रैगिंग की लिखित शिकायत करता है, तो उस शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख, पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, शिकायत में उल्लिखित मामले की जांच करेगा और यदि, प्रथम दृष्टया, यह सच पाया जाता है, तो उस छात्र को निलंबित कर देगा, जिस पर अपराध का आरोप है, और शिकायत को तुरंत उस पुलिस स्टेशन में भेज देगा, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थित है, आगे की कार्रवाई के लिए।(2) जहाँ, शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा जाँच करने पर, यह साबित हो जाता है कि उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शिकायत में कोई सार नहीं है, वह शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तथ्य की सूचना देगा।(3) शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख का निर्णय कि छात्र उप-धारा (1) के तहत रैगिंग में लिप्त है, अंतिम होगा।"

डी.

ई.

एफ.

ख) 2000 विनियमों के खंड 13.2 और 13.3 के प्रासंगिक भाग

ये हैंः-

जी.

"स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 'पूर्णकालिक निवासी' के रूप में काम करेंगे और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण के 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) से कम भाग नहीं लेंगे, जिसमें असाइनमेंट, मूल्यांकन पूर्णकालिक जिम्मेदारियां और शैक्षिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं में भागीदारी शामिल है।"

एच.

माइग्रेशन

किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विश्वविद्यालय/प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम से गुजरने वाले छात्र के प्रवास/स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

ग) भारतीय चिकित्सा परिषद (चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियम, 2009 (संक्षेप में '2009 विनियम') के अनुच्छेद 7 और 8 को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः-

बी.

"7. विनियामक उपाय-निरीक्षण/दौरा

एमसीआई की समितियाँ यह सत्यापित करेंगी कि मेडिकल कॉलेज/संस्थान ने रैगिंग विरोधी उपायों का सख्ती से पालन किया है और आने वाली अवधि (यानी पहले के निरीक्षण से) के दौरान या अन्यथा रैगिंग की कोई घटना नहीं होने के मामले में एक दोषरहित रिकॉर्ड है।

सी.

8. 8. 1 चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर पुरस्कार योग्य दंडः

डी.

संस्था की रैगिंग रोधी समिति द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, संस्था स्तर पर रैगिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए संभावित दंड कोई भी या निम्नलिखित में से कोई भी संयोजन होगाः

ई.

8.1.1 कक्षाओं और शैक्षणिक विशेषाधिकारों में भाग लेने से निलंबन।

8.1.2 छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना

एफ.

8.1.3 किसी भी परीक्षा/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित।

8.1.4 रोक लगाने के परिणाम

8.1.5 किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से वंचित।

जी.

8.1.6 8. 1 छात्रावास से निलंबन/निष्कासन।7 प्रवेश रद्द करना

8.1.8 1 से 4 सेमेस्टर ए तक की अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन

एच.

1027

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

8.1.9 संस्थान से निष्कासन और इसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर प्रतिबंध।8.1.10 Rs.25,000/- का जुर्माना और 1 लाख रुपये।

8.1.11 सामूहिक दंडःजब रैगिंग के अपराध को अंजाम देने या उकसाने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्था सामूहिक दंड का सहारा लेगी।

बी.

8.2 संस्था के संस्थानों/प्रशासन के प्रमुखों के लिए दंडात्मक परिणाम जो रैगिंग की रोकथाम में समय पर कदम नहीं उठाते हैं और रैगिंग करने वालों को दंडित करते हैं।

सी.

संस्थान के अधिकारी विशेष रूप से संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो।यदि रैगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रमुख उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा, जिसके कर्तव्य में लापरवाही घटना का कारण बनती है।प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी, अपने बदले में, प्रमुख के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा।

डी.

दंडात्मक परिणामों के अलावा, ऐसे प्रमुखों/प्रशासन के सदस्यों/संकाय सदस्यों/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जानी चाहिए, जो रैगिंग की शिकायतों के प्रति उदासीन या असंवेदनशील रवैया प्रदर्शित करते हैं।"

ई.

22. हम उन निर्णयों के प्रासंगिक भागों पर भी ध्यान दे सकते हैं जिन पर भरोसा किया गया था।

एफ.

ए) सुमित मेहता बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2 में, यह देखा गया थाः-

"11. संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और पुलिस की जांच के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए

कर्तव्यबद्ध है।उसी के लिए, धारा 438 (1) के तहत राहत देते समय, धारा 438 (2) के तहत उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि एक निर्बाध जांच सुनिश्चित की जा सके।इस तरह की शर्तों को रखने का उद्देश्य जांच में बाधा डालने वाले व्यक्ति की संभावना से बचना चाहिए।इस प्रकार, कोई भी शर्त, जिसमें जांच या मुकदमे की निष्पक्षता या औचित्य का कोई संदर्भ नहीं है, को कानून के तहत अनुमेय नहीं माना जा सकता है।अतः विवेकाधिकार

जी.

एच.

न्यायालय को शर्तों को लागू करते समय अत्यधिक संयम के साथ प्रयोग करना चाहिए।

12. कानून एक आरोपी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता।एक संभवतः निर्दोष व्यक्ति के रूप में, वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मौलिक अधिकारों का हकदार है।

बी.

13. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अग्रिम जमानत देते समय, अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के पूर्ववृत्त, अर्थात्, इस तरह के अपराध में उसकी पिछली संलिप्तता और आवेदक के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करें और उसे ध्यान में रखें।न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि क्या उसे गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अदालतें संहिता की धारा 438 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान की गई उचित शर्तों को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

सी.

डी.

14. इस प्रकार, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के नाम पर छह महीने की अवधि के लिए 1,000 रुपये की सावधि जमा राशि और अग्रिम जमानत देने की पूर्व शर्त के रूप में एफ. डी. आर. को जांच अधिकारी के पास रखना स्पष्ट रूप से कठिन और अनुचित है।यह याद रखना चाहिए कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंची है कि लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, जिसका पता मुकदमे के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है।निश्चित रूप से, हम किसी भी शब्द में यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि धोखाधड़ी, बिजली की चोरी, सफेदपोश अपराधों या चिट

फंड घोटालों आदि के मामलों में भी इस तरह की शर्त लगाने की शक्ति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

ई.

एफ.

15. प्रावधान में उपयोग किए गए "कोई भी शर्त" शब्दों को किसी भी शर्त को लागू करने के लिए न्यायालय को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।किसी भी शर्त की व्याख्या परिस्थितियों में स्वीकार्य तथ्यों में स्वीकार्य और व्यावहारिक अर्थों में प्रभावी एक उचित शर्त के रूप में की जानी चाहिए और जमानत देने के आदेश को विफल नहीं करना चाहिए।हमारा विचार है कि मामले के वर्तमान तथ्य और परिस्थितियाँ इस तरह की चरम शर्त को लागू करने की गारंटी नहीं देती हैं।"

जी.

ख**)** कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य और अन्य **3** में**,** यह

न्यायालय ने टिप्पणी कीः- ए.

एच.

1029

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

"5. आज अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के लिए उपरोक्त आदेश पारित करते समय, लगाई गई शर्त जैसी शर्त नहीं लगाई जा सकती थी।... ... ...

8. इससे पहले कि हम मामले का विश्लेषण करें, पहले व्याख्या पर एक शब्द कहें।यह अच्छी तरह से तय कानूनी प्रस्ताव है कि किसी अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या करते समय, एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य या उद्देश्य को बढ़ावा देगी (चाहे वह उद्देश्य या उद्देश्य अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया हो या नहीं) जो उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देगी।

बी.

सी.

9. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 437 (3) का खंड (सी) न्यायालयों को न्याय के हित में ऐसी शर्तें लागू करने की अनुमति देता है।हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से इस तरह के शब्द

व्यापक अर्थ को स्वीकार करने में सक्षम हैं।लेकिन ऐसी शर्तें मनमाना, काल्पनिक या प्रावधान के अंत से परे नहीं हो सकती हैं।धारा 437 (3) के खंड (सी) के तहत उपयोग किए गए वाक्यांश "न्याय के हित" का अर्थ है "न्याय का अच्छा प्रशासन" या "परीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना" और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के कारण व्यापक अर्थ को शामिल करने से बचना चाहिए।

डी.

10. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने ऐसी मनमाने शर्तों को लागू करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। लगाई गई कुछ शर्तें अत्यधिक कठिन और बेतुकी हैं।इस तरह की भारी अग्रिम जमानत की शर्तें अलग हैं और कानून की नजर में इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि लगाई गई शर्तों का न्याय के अच्छे प्रशासन या मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य की पूरी तरह से अवहेलना करने का एक अति उत्साहपूर्ण अभ्यास है।"

ई.

एफ.

23. शुरुआत में, यह कहा जाना चाहिए कि यह देखने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्या कॉलेज में वापस जाना संभव नहीं होगा, क्या अपीलार्थियोंओं को किसी अन्य कॉलेज/संस्थान में प्रवास की अनुमति दी जा सकती है ताकि दोनों तत्व अर्थात (i) अपीलार्थियोंओं के करियर और संभावनाओं से संबंधित हों और (ii) गवाहों को अपीलार्थियोंओं द्वारा प्रभाव की संभावना से दूर रखने में अभियोजन पक्ष का हित हो। संतुष्ट हो जाएँगे और उनका ध्यान रखा जाएगा।इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा दिए गए दो उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता थी।हालाँकि, जैसे-जैसे स्थिति अब बढ़ती जा रही है, भारतीय चिकित्सा परिषद का रुख स्पष्ट है कि "

जी.

एच.

इस बीमारी से गुजर रहे छात्रों के लिए किसी भी परिस्थिति में प्रवास की अनुमति नहीं है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम।विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि जो छात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, उन्हें एक विशेष गाइड के तहत होना चाहिए और केवल उसी गाइड की देखरेख में पूरा पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।इसलिए, मामला शुरू में जो नोट किया गया था और जिस पर ध्यान दिया गया था, उससे बहुत दूर चला गया है और अब उत्तरदाताओं ने अपीलार्थियों के निलंबन के आदेश

को रिकॉर्ड पर रखा है और इस बात पर जोर दिया है कि जब तक निलंबन का आदेश लागू है, तब तक अपीलार्थियों को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बी.

24. इस प्रकार, हमसे प्रतिस्पर्धी दावों पर इस तरह से विचार करने का आह्वान किया जाता है कि अपीलार्थियोंओं के अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित हों और साथ ही, अभियोजन का संचालन भी सुचारू रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप और गवाहों के जीत जाने की संभावना के चले।इस दृष्टिकोण से, यह ध्यान दिया जाना चाहिएः-

सी.

क) हमारे सामने अपीलार्थियों करने वाली तीन महिला डॉक्टर हैं जो स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम (एम. डी.) कर रही हैं और उन्होंने तीन वर्षों में से दो वर्ष पूरे कर लिए हैं।यह पाठ्यक्रम काफी प्रतिष्ठित है और उस क्षेत्र में एक विशेष पाठ्यक्रम माना जाता है।अपीलार्थियों मुंबई के मूल निवासी प्रतीत नहीं होते हैं और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी या उनके परिवारों की मुंबई में गहरी उपस्थिति है।

डी.

ई.

ख) जैसा कि सुमित मेहता 2 में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, यदि कानून किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है, तो अपीलार्थियों, संभवतः निर्दोष व्यक्ति के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं और जब तक उक्त अधिकार का प्रयोग अभियोजन के सुचारू संचालन और प्रगति में बाधा नहीं डालता है, तब तक अपना अध्ययन जारी रखने के हकदार हैं।ग) महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के उप सचिव द्वारा दायर हलफनामे के माध्यम से राज्य द्वारा लिया गया रुख यह है कि अपीलार्थियों मुकदमे के समापन के बाद भविष्य में अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर मुकदमा चला सकते हैं।आदेश के पैरा 11 में उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया प्रस्तुतिकरण और अवलोकन, हमारे विचार में, सही नहीं हैं।यहाँ तक कि एक दोषी को भी सजा काटते समय शैक्षणिक कार्य करने और मानव ए के रूप में अपनी क्षमता विकसित करने की अनुमति है।

एफ.

जी.

एच.

पूर्ण होने के लिए।राज्य तंत्र को इस दिशा में किसी भी प्रयास में बाधा डालने के बजाय इस तरह के कार्यों को सुविधाजनक बनाना चाहिए।इसलिए, अपीलार्थियों, किसी भी मानक द्वारा, पहले व्यक्त की गई चेतावनी के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को जारी रखने के हकदार हैं।घ) यह अभिलेख का विषय है कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 09.08.2019 के आदेश के पैरा 13 में कहा है, सभी भौतिक गवाहों के बयान संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की हद तक कोशिश की कि ऐसे बयान दर्ज किए जाएं ताकि जमानत पर रिहा होने के बाद अपीलार्थियों द्वारा गवाहों को नहीं जीता जा सके।इसलिए, यह आशंका कि गवाह प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं है।

बी.

सी.

ङ) अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे जाने वाले अधिकांश गवाह कॉलेज और अस्पताल में स्थायी रूप से कार्यरत प्रतीत होते हैं।यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि तीन महिला डॉक्टर जो अन्यथा मुंबई से संबंधित नहीं हैं, वे कॉलेज और अस्पताल में अपनी उपस्थिति से ऐसे किसी भी गवाह को प्रभावित करने में सक्षम होंगी।

डी.

च) अपीलार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है और जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें केवल नौ महीने की वास्तविक अवधि से गुजरना पड़ता है।

ई.

इस प्रकार, उन नौ महीनों को एक पैमाने पर रखने और यह देखने का सवाल है कि क्या दूसरा पैमाना इतना भारी हो जाता है कि उन्हें अपने पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

25. एक अन्य मुद्दा अपीलार्थियों के खिलाफ पारित निलंबन के आदेश के बारे में उठाया गया है।अभिलेख पर तथ्यों से संकेत मिलता है कि एंटी-रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट और निलंबन का आदेश एक ही तारीख यानी 27.05.2019 पर जारी किया गया था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा का यह निवेदन कि निलंबन का आदेश रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट पर आधारित नहीं था, निम्नलिखित विशेषताओं के कारण स्वीकार करने योग्य है, अर्थात् (क) निलंबन के आदेश के लिए बाहरी संख्या एन. डी. एन./172 है जबकि रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट एन. डी. एन./183 है, जिसका अर्थ है कि निलंबन का आदेश रैगिंग-रोधी समिति की

रिपोर्ट से पहले जारी विद्वान गया था। (बी) दोनों संचार कॉलेज और अस्पताल के डीन के हस्ताक्षर के तहत हैं और फिर भी, निलंबन का आदेश कोई नहीं बनाता है

एफ.

जी.

एच.

रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट का संदर्भ; (ग) निलंबन का आदेश विशुद्ध रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के पंजीकरण पर आधारित है, यही कारण है कि "इसका संज्ञान लेते हुए" निलंबन का आदेश पारित किया गया था; और (घ) जब निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, तो इसे उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश के कारण खारिज कर दिया गया था, न कि रैगिंग-रोधी समिति की रिपोर्ट के कारण।

बी.

26. 1999 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से पता चलता है कि यदि कोई छात्र रैगिंग या रैगिंग के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे दोषी ठहराए जाने पर कारावास से दंडित किया जा सकता है जो दो साल तक बढ़ सकता है और धारा 5 के आधार पर, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी छात्र को शैक्षणिक संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में भर्ती नहीं किया जा सकता है।हम 1999 के अधिनियम की धारा 4 और 5 के आधार पर उत्पन्न होने वाली या होने वाली किसी भी घटना से चिंतित नहीं हैं।

सी.

1999 अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए, शैक्षणिक संस्थान के संबंधित प्रमुख को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि छात्र के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद निलंबन का आदेश पारित किया जा सकता है।

डी.

जैसा कि ऊपर कहा गया है, निलंबन का आदेश इस तरह के किसी भी निष्कर्ष या प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दर्ज नहीं करता है।वास्तव में, निलंबन का आदेश 1999 के अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सौंपी गई शक्ति के आधार पर पारित नहीं किया गया था, बल्कि इस आधार पर

किया गया था कि अपीलार्थियों पुलिस द्वारा जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निलंबन का आदेश 1999 अधिनियम की धारा 6 (1) के लिए संदर्भित नहीं है।

ई.

एफ.

उपरोक्त धारा 6 (1) के अलावा, किसी अन्य वैधानिक प्रावधान का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।

27. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए 2009 के विनियमों का पैरा 8.1 उन मामलों में लागू होता है जहां एक छात्र को 'रैगिंग का दोषी पाया गया है' जो शक्ति के वैध प्रयोग का अनुमान लगाता है।उक्त पैरा 8.1 द्वारा विचार किए गए प्रभाव उसके बाद ही अमल में आते हैं।28. हमारे सुविचारित विचार में, न तो 1999 के अधिनियम के प्रावधान और न ही 2009 के विनियम वर्तमान मामले की ओर आकर्षित हुए।

जी.

29. इसलिए, हमारे पास एक खाली निलंबन आदेश दिनांक 27.05.2019 बचा है जो 1999 के अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित नहीं था। ए ए

एच.

1033

अंकीता कैलाश खांडेलवाल और ओआरएस।महाराष्ट्र राज्य और अन्य [उदय उमेश ललित, जे.]
ए.

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने विद्वान कि शर्त में छूट के अनुरोध से उत्पन्न होने वाले मामले में निलंबन आदेश पर किसी भी संपार्श्विक हमले की अनुमति नहीं दी जाएगी।उनके और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल द्वारा प्रस्तुत विद्वान गया है कि अपीलार्थियों निलंबन के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं और जब तक उस आदेश को दरकिनार नहीं विद्वान जाता है, अपीलार्थियोंओं को कॉलेज या अस्पताल में वापस आने की अनुमति नहीं अपास्त करना सकती है।

बी.

30. हम उपरोक्त प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।शर्त सं. (iv) के संबंध में मांगी गई छूट अपराध के पंजीकरण से उत्पन्न होने वाले मामलों और उसके अनुसार उठाए गए कदमों के संबंध में सभी प्रस्तुतियों को अपने दायरे में लेती है।चूँकि निलंबन का आदेश विशुद्ध रूप से अपराध के पंजीकरण के परिणामस्वरूप पारित किया गया था और 1999 के अधिनियम की धारा 6 के

तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों में इसका कोई निहितार्थ नहीं था, हमारे विचार में, यह न्यायालय निश्चित रूप से अपीलार्थियों को निवारण प्रदान कर सकता है।

सी.

31. प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करते हुए, हमारे विचार में, अपीलार्थियोंओं को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम में वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा उनके खिलाफ अभियोजन की विचाराधीनता उनके करियर को पूर्वाग्रहित करने के रूप में और जुर्माना जोड़ देगी।इस तरह का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों को नकार देगा।

डी.

32. इस मामले को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जब अपीलार्थियोंओं को एक ही गाइड के तहत और उसी संस्थान में प्रशिक्षण लेना होता है जहां वे पंजीकृत थे, हमारे विचार में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्त संख्या (iv) में ढील दी जाती है और अपीलार्थियोंओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज और अस्पताल में वापस जाने की अनुमति दी जाती हैः-

ई.

एफ.

i) अपीलार्थियों किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे या प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करेंगे।

(ii) विचारण न्यायालय प्रत्येक तिथि पर स्वयं को पेश करेंगे जब तक कि उनकी उपस्थिति को विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है।

जी.

iii) यदि यह अनुमेय है, और कॉलेज और अस्पताल के डीन से उचित अनुमति के अधीन, अपीलार्थियों कॉलेज और अस्पताल में निवासियों को आवंटित क्वार्टरों में नहीं रह सकते हैं। हालांकि, अगर डाक के रूप में पंजीकरण

एच.

स्नातक छात्रों के लिए आवश्यक है कि अपीलार्थियों कॉलेज और अस्पताल में पूर्णकालिक निवासी हों, फिर अपीलार्थियों ऐसा करेंगे।

(iv) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव के अनुसार, अपीलार्थियों विद्वान अवकाश का लाभ उठाएंगे, ताकि कॉलेज और अस्पताल के अंदर रहने की उनकी वास्तविक अवधि अधिकतम संभव स्तर तक कम हो जाए।

बी.

v) यदि कोई छुट्टी या छुट्टी है और निवासियों के लिए कॉलेज और अस्पताल के बाहर रहने की अनुमति है, तो अपीलार्थियों इसका लाभ उठाएंगे और खुद को अस्पताल और कॉलेज से दूर रखेंगे।

सी.

vi) यदि विभाग के प्रमुख डॉ. गणेश शिंदे द्वारा कोई अप्रिय घटना होने की आशंका है, या ऐसी घटना की संभावना भी है, तो संबंधित अधिकारी तुरंत क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलार्थियोंओं सहित सभी के जीवन और स्वतंत्रता की अच्छी तरह से रक्षा की जाए।

डी.

33. जैसा कि ऊपर कहा गया है, शर्तों के अधीन, अपीलार्थियों को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज और अस्पताल में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में लागू होगा और यदि ऐसा कार्यकाल पहले ही शुरू हो चुका है तो यह 12.10.2020 से लागू होगा।यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थियों को दिनांक 27.05.2019 के निलंबन आदेश की परवाह किए बिना अपने अध्ययन के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

ई.

34. इस निर्णय की प्रतियां अभिलेख और अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय और संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जाएंगी।

एफ.

35. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.